Regd. No. CHD/0093/2015-2017



Haryana Government Gazette EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 147-2017/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, AUGUST 22, 2017 (SRAVANA 30, 1939 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 22 अगस्त, 2017

संख्या 77 / एसटी—2.— हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 9 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 52 / एसटी—2, दिनांक 30 जून, 2017, में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 52 / एसटी—2, दिनांक 30 जून, 2017 में, प्रथम पैराग्राफ में,

- (क) खंड (ii) के अंत में, विद्यमान "1" के स्थान पर, ";" प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ख) खंड (ii) के बाद, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्-

"(iii) हाउस किपिंग के माध्यम से दी जाने वाली सेवाओं जैसे पलंबिंग, कारपेंटरिंग इत्यादि, सिवाय वहां जहां इलेक्ट्रोनिक वाणिज्य प्रचालक के माध्यम से ऐसी सेवाओं का प्रदाय करने वाला व्यक्ति हरियाणा माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 19), की धारा 22 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी है।''।

> संजीव कौशल, अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT Notification

The 22nd August, 2017

No. 77/ST-2.— In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 9 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendment in the Haryana Government, Excise and Taxation Department, Notification No.52/ST-2, dated the 30th June, 2017, namely:-

Amendment

In the Haryana Government, Excise and Taxation Department, Notification No. 52/ST-2, dated the 30th June, 2017, after clause (ii), the following clause shall be inserted, namely:-

"(iii) services by way of house-keeping, such as plumbing, carpentering etc, except where the person supplying such service through electronic commerce operator is liable for registration under sub-section (1) of section 22 of the said Haryana Goods and Services Tax Act.".

SANJEEV KAUSHAL, Additional Chief Secretary to Government Haryana, Excise and Taxation Department.

55580-C.S.-H.G.P., Chd.